



उत्तरांचल UTTARANCHAL

प्राचीन - 26

00AA 335684

49 सल्ल

નિર્ધારણ પત્ર ૩

१ निर्वाचन ख्रेत्रका नाम १

अतिथि १५०८

—१ अद्यतन का नामू के लिए निवारण के लिए
अम्बिकों द्वारा बतात किये जाने वाला शब्दावल

सिंगारमें जीवा

ਪੁਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀਨਾ

प्र० 42 वर्ष गोपनीय भूमि गाव पो तजोतोरा धुमियामें कायकी निवासी हैं और उधरी क
निवासिन मे अभ्यर्थी हैं जब विठ्ठल ने इतिहास करता है। इवाचर निम्न लिखित कथम बताता हैः—
१- किंतु ऐसे किंतु लम्बित मामले में दृढ़ वर्ष वा अंगिक के कारणात मे दण्डनोब वित्तो
भूमिका वा भूमिका नहीं है। किंतु तुदमाधिकारिता वा ते निवासात्मक दारा आरोप विरेपित
किंतु यादा है किंतु गये हैं।
विद्युत भूमिका ऐसे किंतु उधरापि उधरापि का अभियुक्त है तो वह निम्न लिखित जानकारी
के साथ बताएगा।

A circular stamp with a decorative border containing the text "GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH" at the top and "ALIGARH DISTT." at the bottom. The center contains the date "1942" and the name "Y. C. KECHE". Below the stamp, there is handwritten text: "मुक्तायापन विधा याचना दिली अप्रैल 1942", "सरकारी नोट", and "मुक्तायापन विधा याचना दिली अप्रैल 1942".

३	मामला/वधम गया रिपोर्ट अंदाज-/नंबराएं-	प्र०
४	उल्लिखन धाना/पीने किंवा/किंवा — सह राज्य।	
५	जनरिपा उत्थितन क्रम अपिनिवधों को पारा/पारा और उच्चराय/उच्चरायी का नंदिपा उत्थितन क्रम के लिए उत्कथ्य आरोपित किया गया है। उत्थितन के गढ़ों	
६	—पारा कालाय किंवा/किंवा द्वारा आरोपित किया गया था/किए गये थे—	
७	तारोड़/तारोड़े किंवा/आरोपि विरहित किया गया था/किए गये थे—	
८	जाता नहीं वा काहि कास्ताहो किंवा नमस्तम उत्प्रकारिता वाले न्यायालय द्वारा दोको है	
९	—	
१०	२- अझे किनो उच्चराय/उच्चरायों लोह इतिनिपिल अपिनिवधों १९५१/१९५१ का ४३ को पारा ४ को उच्चपारा-॥ वा १२ में निदिष्ट वा उच्चारा १९५१ के ज्ञानतंत्र आनुवाद किनो उच्चराय/उच्चरायों ने भिन्न के लिए तिक्कोष्ठ छहरावा गया है/लही छहरावा गया है और एक वर्ष वा अधिक के लिए कारबाहा ने देढ़ा दिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत उत्कथन स्वरूप तिक्कोष्ठ छहरावा गया और देढ़ा दिष्ट किया गया है तो इस नियम लिखित जानकारी बताता करेगा।	
११	मामला/वधम गया रिपोर्ट अंदाज-/नंबराएं-	प्र०
१२	न्यायालय किनी दंकित किया है	०१६

1- Ogene



उत्तरांचल UTTARANCHAL

— 2 —

00AA 335682



- 13] इलिन धानाधाने] _____ किला/किलो — राज्य वि. _____
 14] तर्बंधि उपनिवास [उपनिवास] को धारा [पहरा] और उत जबरुद्ध
 [उ. उषराधीका निधिपत विवर हैं जिनके [जिनके] लिह अम्बाधों कमी
 आरोग्यित करवा गवा है। — नादी
- 15] तारोखीतारोखी किला दंडादेश तुनावा गवा था/तुनाएं गवे थे — लादी
- 16] वहा दंडादेश तथम अफिकारो का उद्देश न्यायालय द्वारा दरोका गवा है /
 रोके गवे हैं। — नादी

स्थान : हालीरवेत

तारोख : 09/01/2012

Open *Signature*
 अफिकारो के हस्ताक्षर *Open* *Signature*

तत्वावधि

मैं ऊपर नामित अफिकारों की तत्वावधि और घोषित करता/करती हूँ कि इन
 ग्रहणक्र में उत्तमतम झान और विश्वास के अनुताव तत्व और नहीं है।

the Document Shri. Surendra Singh Choudhary
 No. 09/01/2012 Date: 09/01/2012
 Fait Date 09/01/2012
 that the Contents of this Affidavit are
 True with the best of my knowledge
 and belief.
 Shri. Surendra Singh Choudhary
 09/01/2012
 by Surendra Singh Choudhary

अफिकारो के स्तावर

Y.C. Joshi
 Y. C. JOSE

प्रारूप-26
(नियम 4 के देखिए)

49 साल

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

निर्वाचन क्षेत्र से

उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

मैं सुरेण्ठा सिंह जीला पुत्र/पुत्री/फ्ली प्रतापसिंह जीला आयु 42 वर्ष जीर्णपत्र-सदीगाव, पो. तुरंगचोरा, भिरियाँगड़का की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लघित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नाही

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नाही

नाही

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नाही

नाही

(v) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नाही

नाही

(vi) क्या सभी या कोई कार्रवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई नाही

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से मिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नाही

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नाही

- (iii) पुलिस थाना (धाने) जिला (जिले) राज्य इंडी
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है) इंडी
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे इंडी
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं इंडी

स्थान: रामगढ़ी
तारीख: ०१/०१/२०१२

Open
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की ओरतवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

रामगढ़ी

स्थान पर आज तारीख ०१/०१/२०१२ को सत्यापित किया।

Open
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रूफ के बे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

*I solemnly Affirm before you that
the Deponent Shri Sureshwar Singh, resident
at Kastur Singh Chauraha, 8/1, New Colony, Ghaziabad,
State of Uttar Pradesh, India, on the date of 01/01/2012
that the Contents of this Affidavit are
True with have been explained to
the Deponent by Shri R. C. Joshi, on 01/01/2012
in English.*

T. C. JOSHI
Deputy Collector
9/1/12